सुसंगत दस्तावेजों को उधार लेनेवाली सरकार के पास अपने लोक सेवा आयोग से परामर्श के लिए, यदि आवश्यक हो, और आवश्यक स्वीकृति देने के लिए भेजेगी। इन दस्तावेजों को भेजते समय उधार देनेवाली सरकार को यह भी बताना होगा कि वह अंकेक्षण पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत हैं या नहीं, और यदि नहीं तो उसे अवार्ड की अनुमान्यता और परिमाण के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए कारण बताना होगा।

3. ऊपर की कंडिका में अंतर्विष्ट निर्णय केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियोजन पर गये डाक-तार, रेल और रक्षा विभागों के सरकारी सेवकों तथा विलोमतः को भी आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू होगा और इन आदेशों के लिए ये तीनों विभाग अलग-अलग सरकार समझे जायेंगे।

4. ये आदेश 1-1-1962 को या उसके बाद प्रोद्भूत मामलों को लागू होंगे। जो मामले पहले ही अन्यथा निष्पादित कर दिये गये हों उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।

5. ये आदेश यू०पी० राज्य से केन्द्र सरकार में प्रतिनियोजन पर रहने वाले राज्य सरकारी सेवकों और विलोमतः को लागू नहीं होंगे। ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को लागू नहीं होंगे।

6. जहाँ तक भारतीय अंकेक्षण और लेखा विभागों में सेवारत् व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद निर्गत किये गये हैं।

अध्याय–10

पेंशन के लिये आवेदन और उसकी मंजूरी

प्रकरण 1 : सामान्य

188. इस नियमावली के अधीन पेंशन संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने वाले सभी प्राधिकारी यह बात ध्यान में रखेंगे कि पेंशन के भुगतान में विलम्ब होने से विशेष प्रकार की कठिनाई होती है। अतः यह सुनिश्चित कर लेना अत्यावश्यक है कि सरकारी सेवक को पेंशन, देय होने की तारीख से ही, पेंशन मिलने लगे।

189. हरेक सरकारी सेवक पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन करेगा। सरकारी सेवक को, अपने ही हित में, अपनी वास्तविक या प्रत्याशित निवृत्ति की तारीख से *18 माह पहले, यथास्थिति, नियम 193 या 196 में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन कर देना चाहिये –

परन्तु –

(i) जहाँ *[18 माह] पहले निवृत्ति की तारीख मालूम न हो सके, वहाँ आवेदन निवृत्ति की तारीख निर्धारित हो जाने पर तुरंत किया जायेगा; और

(ii) जो सरकारी सेवक *[18 माह] से अधिक की निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर जा रहा हो, वह ऐसी छुट्टी पर जाने के समय आवेदन कर देगा।

टिप्पणी : इस नियम का उद्देश्य यह है कि पेंशन संबंधी दावों के निबटाने में विलम्ब न हो तथा कोई सरकारी सेवक इस गलत धारणा के साथ निवृत्त न हो कि उसने पेंशन उपार्जित की है, और वह बाद में अनुमान्य न पायी जाये। निवृत्ति के बाद अवधि के संबंध में वस्तुतः कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके भीतर पेंशन या उपदान के लिये आवेदन अवश्य ही कर दिया जाना चाहिये, किन्तु विशेष आदेश न रहने पर जिस पेंशन के लिए आवेदन सरकारी सेवक की निवृत्ति के बाद किया जायेगा, वह पेंशन आवेदन की तारीख से ही देय होगी (देखें नियम 209 भी)।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

*यह निर्णीत किया गया है कि सरकारी सेवक को अपने सेवा-निवृत्ति की तिथि से 18 माह पूर्व ही पेंशन हेतु आवेदन करना चाहिए और सम्बन्धित विभाग को पेंशन कागजात सेवक की निवृत्ति की तिथि के 18 माह पूर्व तैयार करना चाहिए। [*जी०ओ०ना० 1030/61-12928 वि०, दिनांक 4-9-1962]

2.

***विषय : सेवानिवृत्ति के 12 महीने (अब 18 महीने) पहले पेंशन-मामले का उपस्थापन ।**

महालेखाकार, बिहार के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों द्वारा अंकेक्षण-प्राधिकारियों को सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बहुत बाद पेंशन-मामले सौंपे जाते हैं, फलस्वरूप पेंशन-मामला के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है ।

2. इस सम्बन्ध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 साथ-साथ पठित वित्त विभाग ज्ञापांक पेन-1030/61-12928 एफ०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 की कंडिका 5 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 महीने पहले अंकेक्षण कार्यालय को पेंशन-मामला सौंप दिया जाये । निस्संदेह, सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी सेवकों को 75% पेंशन और उपदान देने का आवश्यक प्रावधान वित्त विभाग पत्रांक पेन-1032/67/8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में किया गया है । किन्तु उक्त प्रावधान केवल उन्हीं मामलों के लिए हैं जिनमें पेंशन मामलों का अन्तिम निष्पादन नहीं हुआ है । सामान्यत: सभी पेंशन-मामले 12 महीने पहले संसाधित करके अंकेक्षण कार्यालय को सुपुर्द किए जाने हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी सेवक को उसकी पूरी पेंशन और उपदान दिया जा सके ।

3. अत: अनुरोध है कि अपने अधीन सभी पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों को आवश्यक निदेश भेज दें कि वे सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 महीने पहले उनके पेंशन-मामले महालेखाकार, बिहार को भेज दें तथा सभी लम्बित पेंशन-मामलों का स्थानिक पुनर्विलोकन करें ताकि लम्बित पेंशन मामलों का निष्पादन अगले छह महीनों के भीतर किया जा सके । (अब 12 महीने के बदले 18 महीने पढ़ा जाए)

[*ज्ञापांक पेन-1021/68/463 वि०, दिनांक 16-1-1969]

3.

***विषय : पेंशन/ग्रेच्यूटी हेतु सेवा का सत्यापन ।**

लम्बित पेंशन मामलों में निष्पादन हेतु दौरा के क्रम में समीक्षा के समय यह पाया गया है कि सेवानिवृत्त/ मृत सरकारी कर्मचारियों की सेवा-पुस्त विभिन्न कार्यालयों में Acquittance Roll के आधार पर सेवा सत्यापन के लिए भेजी जाती है । इस प्रकार की प्रक्रिया के चलते पेंशन मामलों के निष्पादन में काफी समय लग जाता है और फलस्वरूप पेंशनरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को समय पर पेंशन नहीं मिलने से आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन-1032/67-8739 वि०, दिनांक 13-7-1967 के निम्नांकित प्रावधान के अनुसार अब सेवा-सत्यापन के लिए सेवा-पुस्त विभिन्न कार्यालयों में भेजना आवश्यक नहीं है –

"यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे मामलों में सेवा की प्रथम तिथि जो पेंशन हेतु अर्हक है, निवृत्ति तिथि और सेवा के बीच की अवधि जो पेंशन के लिए अर्हक नहीं है का ही सिर्फ सत्यापन होना चाहिए तथा अनर्हक सेवा की अवधि को घटा कर अर्हक सेवा का निर्धारण होना चाहिए ।"

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सेवा पुस्त में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही सेवा का सत्यापन करना है । सत्यापन करने हेतु प्रमाण-पत्र का एक नमूना दिया जा रहा है –

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री – सम्बद्ध सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम सरकारी सेवा में निवृत्त हुए/मर गये । उपर्युक्त अवधि में उनके द्वारा की गई सेवा लगातार एवं पेंशन प्रदायी है ।"

(हस्ताक्षर पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी पदनाम सहित)

[*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-701/78/1690 वि०, दिनांक 9-2-1978]

190. महालेखापाल, हरेक, राजपत्रित सरकारी सेवक के पास, जिस तारीख को वह बुढ़ापा-निवृत्ति की उम्र का हो जाये, उस तारीख के [अठारह महीने] पूर्व, अथवा जिस तारीख से उसने निवृत्त होने के लिये, औपचारिक रूप से अनुमति माँगी हो, यदि वह पहले हो तो, उस तारीख के पूर्व यथाशीघ्र 189 से 193 तक नियमों की एक प्रतिलिपि इस अभ्युक्ति के साथ भेजेगा कि यदि वह नियमानुसार औपचारिक आवेदन-पत्र नहीं देगा, तो उसकी पेंशन के आरंभ होने में विलंब की संभावना रहेगी ।

[समीक्षा : देखें नियम 204 के नीचे राज्य सरकार के निर्णय सं० 1 की कण्डिका (3), जो अराजपत्रित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के बाद वाले माह के प्रथम दिन ही 75% ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान से सम्बन्धित है ।]

191. सरकारी सेवक की पेंशन या पेंशनी सेवा को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर, जिनका निर्णय तत्काल ज्ञात परिस्थितियों पर निर्भर हो, ज्यों ही वे उत्पन्न हों, त्योंही विचार किया जायेगा ।

कोई प्रश्न, जिसका निर्णय भविष्य में हो सकने वाली संभावित परिस्थितियों पर या उपकल्पित दशाओं पर निर्भर हो, नियम 189 के अधीन पेंशन संबंधी औपचारिक आवेदन के लिए अनुमान्य अवधि के आरंभ होते ही उठाया जा सकता है या उसपर विचार-विमर्श किया जा सकता है ।

192. नियम 191 के प्रथम वाक्य के भीतर आनेवाले मामलों या राज्य सरकार के विशेष आदेश के अधीन खास मामलों को छोड़कर, महालेखापाल, सरकारी सेवक के पेंशन पर दावे से संबंधित किसी प्रश्न पर तबतक सलाह न देगा जबतक कि पेंशन संबंधी औपचारिक आवेदन के लिए नियम 189 में विहित अनुमान्य अवधि आरंभ न हो जाये ।

प्रकरण 2 - आवेदन

उप-प्रकरण (1) : राजपत्रित-सरकारी सेवक

193. राजपत्रित सरकारी सेवक कार्याध्यक्ष के पास पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र देगा । यदि सरकारी सेवक स्वयं कार्याध्यक्ष हो, तो वह सीधे राज्य सरकार को पेंशन-फारम 4 में आवेदन करेगा; उसे औपचारिक आवेदन-पत्र देने की जरूरत नहीं है ।

टिप्पणी : आवेदक आवेदन-पत्र पर निम्न प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगा –

"मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि अपनी सेवा के किसी अंश के संबंध में जो इस आवेदन पत्र में उल्लिखित है तथा जिसके संबंध में पेंशन या उपदान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिये न तो आवेदन किया है और न पाया है और न इस आवेदन पत्र तथा इसपर दिये गये आदेश का हवाला दिए बिना इसके बाद आवेदन ही करूँगा ।"

194. (i) औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला प्राधिकारी उस आवेदन-पत्र को तुरंत पेंशन फारम 4 में तैयार करेगा और उसे आवेदक के पास उसके हस्ताक्षर के लिये तथा फिर से उपस्थापित करने के लिये भेज देगा ।

(ii) तब वह फारम के पृष्ठ 3 में यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक का चरित्र, आचार और अतीत सेवाएँ इस योग्य हैं या नहीं कि सरकार उसके संबंध में अनुकूल विचार करे । वह इस बारे में अपनी राय भी लिखेगा कि जिस सेवा का दावा किया गया है, वह सिद्ध हो गई है या नहीं तथा उसे स्वीकृत किया जाए या नहीं ।

(iii) छुट्टी, मुअत्तली आदि की सभी अवधियाँ, जिनकी गणना सेवा के रूप में न की जाती हो, फारम पर सावधानी से लिखी जाएँ ।

(iv) यदि आवेदनपत्र असमर्थता पेंशन के लिये हो, तो आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र संलग्न कर देना चाहिये ।

टिप्पणी : यदि आवेदक की स्वास्थ्य-परीक्षा उस तारीख को न की गयी हो जिस तारीख से उसने काम करना बन्द किया था, तो पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी बाद की तारीख का स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकता है ।

195. (क) पूर्ववर्त्ती नियम में विहित रीति से आवेदन-पत्र पूरा भरने के बाद, उसे आवश्यक लेख्यों के साथ पेंशन मंजूर करने की शक्ति वाले प्राधिकारी की मार्फत महालेखापाल के पास भेजा जायेगा ।

(ख) यदि पेंशन(उपदान नहीं) के लिये आवेदन करने वाला व्यक्ति सक्रिय सेवा में न हो, तो अन्तिम-वेतन-प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जायेगा । हाँ, ऐसा उस स्थिति में न किया जायेगा जबकि वह विदेश में छुट्टी पर रहते हुये सेवा से निवृत्त हो और अपना छुट्टी-वेतन होम ट्रेजरी में या उसकी मार्फत प्राप्त करें और उसे स्रोत से अपनी पेंशन भी पाना चाहे ।

(ग) पेंशन मंजूर करने में सक्षम पदाधिकारी मामले के तथ्यों पर यथावत् विचार करने के बाद आवेदन- पत्र पर अपनी अन्तिम सिफारिश लिखेगा कि जिस पेंशन का दावा किया गया है, उसे मंजूर किया जाए या नहीं ।

(घ) जिस सरकारी सेवक की सेवाएँ अंशत: राजपत्रित पदों पर रही हों, उसका सेवा-पुस्त तथा पेंशन-फारम 4 के पृष्ठ 2 में अराजपत्रित सेवा का विवरण जो नियम 197 के उपबंधों के अधीन महालेखापाल द्वारा यथावत् सत्यापित रहेगा, महालेखापाल के पास भेजे जाने वाले कागज-पत्रों के साथ संलग्न रहेंगे ।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : अग्रिम पेंशन, अग्रिम उपदान और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य के मामले में अंतिम-वेतन-प्रमाण-पत्र जारी करना ।**

जब अंकेक्षण पदाधिकारी को पेंशन-फारम सं० 4, बी०पी०आर० में पेंशन-आवेदन-पत्र अग्रसारित किया जाता है तो उसके साथ, यदि पेंशनार्थी आवेदक सक्रिय सेवा में न हो, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र दिया जात है [देखें बी०पी०आर० का 194 (बी)] । अन्य मामलों में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र बाद में अलग से अंकेक्षण पदाधिकारी को दिया जाता है ताकि वह अंकेक्षण संहिता के अनुच्छेद 184 के अनुसार पेंशन की अदायगी या निर्मुक्ति कर सकें । व्यवहार में अंकेक्षण पदाधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग पर जोर न केवल अंतिम पेंशन की अदायगी के पहले बल्कि अग्रिम पेंशन, अग्रिम उपदान और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य के पहले भी देते हैं । अग्रिम अदायगियों के पहले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग पर जो बहुधा इन अदायगियों में विलम्ब का कारण बनता है और इस तरह वह उद्देश्य ही विफल हो जाता है जिसके लिए ऐसी अग्रिम अदायगियों का प्रावधान किया गया है, अर्थात् सेवानिवृत्त होते ही अंतिम रूप से पेंशन निर्धारित होने के पहले पेंशनर को तुरंत तात्कालिक सहायता नहीं मिल पाती है । ऐसे विलम्ब के फलस्वरूप होनेवाली कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब से अंकेक्षण पदाधिकारी अग्रिम पेंशन, अग्रिम अनुदान (मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान समेत) और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य की अदायगी या प्राधिकृत करने के पहले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग नहीं करेंगे ।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम अदायगी बिना अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाएँगे और ठीक तिथि से अदायगी शुरू हो जायेगी, यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक के वस्तुत: सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर एक गजट अधिसूचना (यदि राजपत्रित पदाधिकारी हों) या औपचारिक आदेश (यदि अराजपत्रित पदाधिकारी हों) जारी की जाए जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि सम्बन्धी तथ्य अधिसूचित या सूचित किया जाए । आदेश निर्गत होने के तुरंत बाद सम्बद्ध अंकेक्षण पदाधिकारी को उस आदेश की एक प्रति दे दी जाए ।

3. उपरोक्त कंडिका 2 में अंतर्विष्ट पुनरीक्षित प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से लागू होगी । यह प्रक्रिया उन लम्बित मामलों को भी लागू होगी जिनमें इस आदेश के बाद अग्रिम पेंशन, अग्रिम मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य की अदायगी के प्रस्ताव किए गये हैं ।

4. यदि अग्रिम पेंशन अग्रिम उपदान, अग्रिम पेंशन का रूपांतरण या अंश की स्वीकृति के समय किसी पेंशनर से वसूलनीय सरकारी बकाया आकलित या गैरभरपायी रहे तो वित्त विभाग का ज्ञापांक 10290 वि०, दिनांक 22-9-1964 में अंतर्विष्ट निदेश, आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू होंगे । **[ज्ञापांक पेन–1037/64/4164 वि० 2, दिनांक 5-5-1964]**

उप-प्रकरण (2) : अराजपत्रित सरकारी सेवक

सेवा का सत्यापन

196. राजपत्रित सरकारी सेवक पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन कार्यालय-प्रधान को करेगा ।

[**समीक्षा** : देखें नियम 189, 204 और परिशिष्ट 6 में राज्य सरकार के निर्णय ।]

197. औपचारिक आवेदन-पत्र मिलने पर कार्यालय-प्रधान, पेंशन-फारम 4 के पृष्ठ 2 में आवेदक की सेवाओं का विवरण तुरंत-तैयार करेगा और निम्न प्रक्रियानुसार उनके सत्यापन की व्यवस्था करेगा –

(क) (i) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिसके लिए सेवा-पुस्त रखा जाता है, यदि सेवा अंशत: निचली रही हो (जिस सेवा के बारे में लेखा परीक्षा-कार्यालयों के अभिलेख कभी-कभी अपूर्ण रहते हैं) तो सभी प्राप्त जानकार सर्वप्रथम सरकारी-अभिलेखों से इकट्ठी की जाएगी । उत्कृष्ट सेवा के संबंध में, पहले केवल सहज प्राप्त जानकारी ही इकट्ठी करना पर्याप्त होगा ।

इस प्रकार प्राप्त जानकारी तब विवरण के साथ महालेखापाल के पास भेज दी जाएगी। महालेखापाल अपने कार्यालय-अभिलेखों से मिलाकर विवरण की जाँच करेगा और सत्यापन का आवश्यक प्रमाण-पत्र देगा।

(ii) यदि कोई भिन्नता हो, तो महालेखापाल ऐसी भिन्नता का पूरा ब्योरा देगा, जैसे कि जिस पद पर किसी अवधि में आवेदक को आसीन बताया गया है, उस पद पर लेखा-परीक्षा-कार्यालय के अभिलेखों में किसी अन्य व्यक्तियों को आसीन दिखाया गया हो। विवरण उपस्थापित करनेवाला प्राधिकारी विवादास्पद सेवा को पेंशन के लिये गिनने की अनुमति देने के पहले महालेखापाल के समाधान के अनुरूप ऐसी भिन्नता को ठीक कर देगा।

(iii) यदि वह सेवा, जिसका दावा किया गया है, लेखा-परीक्षा-कार्यालय के अभिलेखों से पूरी तरह सत्यापित न हो सके, तो जिस कार्यालय में सन्देहास्पद अवधि में आवेदक ने काम किया हो, उसके प्रधान से उसके बारे में पृच्छा की जायेगी, जबतक कि वह सेवा पहले ही सत्यापित न हो चुकी हो और सेवा-पुस्त में सत्यापन प्रमाण-पत्र अभिलिखित हो चुका हो।

(iv) यदि सेवा को अन्यथा तरह सत्यापित करना असंभव प्रतीत हो, तो सादे कागज पर आवेदक का लिखित बयान लिया जायेगा। [देखें इंडियन स्टाम्प ऐक्ट 2, 1889, अनुसूची 1, सं० 4 (सी)] और अन्य प्राप्त प्रतिपोषक साक्ष्यों का संग्रह किया जायेगा, उदाहरणार्थ पद (या कार्यालय) छोड़ने के समय किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने अधीनस्थ को दिये गये प्रमाण-पत्र और समकालीन सरकारी सेवकों के अभिसाक्ष्य।

टिप्पणी : इस खंड के अधीन सत्यापित सेवा को स्वीकृत करने की शक्ति का प्रयोग सभी अधीनस्थ प्राधिकारी, जिन्हें इस नियमावली के अधीन पेंशन मंजूर करने की शक्ति प्राप्त है, करेंगे।

(ख) जिस सरकारी सेवक के संबंध में सेवा-पुस्ती रखी जाती है, उसकी सेवाएँ जबतक कि वे सत्यापित न हो चुकी हों और सेवा-पुस्ती में सत्यापन-प्रमाण-पत्र अभिलिखित न हो चुका हो, वेतन-बिल, भरपाई वही या अन्य सुसंगत अभिलेखों के आधार पर सत्यापित की जायेगी और इस संबंध में जहाँ आवश्यक हो, खंड (क) के उपखंड (iv) में विहित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

टिप्पणी : वैसे पुलिस-पदाधिकारी के मामले में जो [1][असैनिक पुलिस में सहायक अवर-निरीक्षक और हवलदारों तथा सैनिक पुलिस में समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों] की* पंक्ति से ऊपर का न हो, पुलिस महानिरीक्षक, [2][और कारा-विभाग के मुख्य कक्षापाल और कक्षापालों के मामले में कारा-महानिरीक्षक] आवेदन के समय जिस बल (फोर्स) में पुलिस पदाधिकारी काम कर रहा हो उसमें उसने जितनी अवधि तक लगातार और सत्यापित सेवा की हो, केवल उतनी अवधि के लिये पेंशन संबंधी दावा महालेखापाल को पहले निर्देश किये बिना, स्वीकृत कर सकता है, यदि ठीक-ठीक नियमानुसार पेंशन अनुमान्य हो। पहचान के आवश्यक विवरण के साथ एक रिपोर्ट महालेखापाल के पास भेजी जायेगी। अन्य सभी दावों के संबंध में कार्रवाई साधारण नियमों के अधीन की जायेगी।

[**समीक्षा :** विभागीय प्रधान द्वारा अपने व्यवस्थापना की वार्षिक विवरणी महालेखाकार को प्रेषित करने का प्रथा की समाप्ति के कारण अब विभागीय प्रधान के द्वारा ही सेवक की सेवा-पुस्त में सभी पूर्ण, सत्य एवं अद्यतन प्रविष्टियाँ की जाती है। उदाहरणार्थ सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे प्रथम नियुक्ति की तिथि वेतनवृद्धि, प्रोन्नति, निलम्बन, सेवा में टूट आदि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र को भी विभागीय प्रधान द्वारा ही हस्ताक्षरित होना है।]

198. ज्योंही यह मालूम हो जाए कि कोई सरकारी सेवक 6 महीनों के भीतर निवृत्त होगा या निवृत्ति- पूर्व छुट्टी पर चला गया है त्योंही कार्यालय-प्रधान पूर्ववर्त्ती नियम में बतायी गयी रीति से सेवा-विवरण की तैयारी और सेवा के सत्यापन का काम हाथ में लेगा। यह काम सरकारी सेवक के पेंशन-संबंधी औपचारिक आवेदन-पत्र वस्तुतः उपस्थापित कर देने तक कभी रुका न रहेगा।

---

1. प्रधान सिपाही शब्दों के लिए प्रतिस्थापित।
2. सन्निविष्टि, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी० 1-1034/51-1441-वित्त, दिनांक 10 नवम्बर, 1953 और पी० 1-1020/54 वित्त, दिनांक 8 अप्रील 1954 और शुद्धि पत्र सं० 23, दिनांक 18 जनवरी, 1955।

199. (क) (i) नियम 197 में बतायी रीति से सत्यापन पूरा कर लेने के बाद कार्यालय-प्रधान आवेदन-पत्र को पेंशन फारम 4 में तैयार करेगा ।

(ii) वह नियम 194 के (i) से (iv) तक खंडों में दिए निर्देशों का भी पालन करेगा और एक अलग कागज पर सरकारी सेवक से नियम 193 के नीचे दी गई टिप्पणी में उल्लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न कर दिया जायेगा ।

(iii) जहाँ नियम 197 के खंड (क) के उपखंड (iv) में विहित प्रक्रिया का सहारा लेना आवश्यक हो जाये, वहाँ वह आवेदन-पत्र में यह ठीक-ठीक अभिलिखित करेगा कि वस्तुत: किस तरह की जाँच-पड़ताल की गई और किस निष्कर्ष पर पहुँचा गया ।

(ख) इसके बाद वह, आवेदन-पत्र के साथ, सेवा के सत्यापन के लिए विश्वसत सभी लेख्यों को इस तरह संजो देगा कि उनको सुविधापूर्वक देखा जा सके और तब उन्हें, यथास्थिति, सरकारी सेवक की सेवा-पुस्त या सेवा-पुस्ती और पेंशन फारम 4 के पृष्ठ 2 में यथावत् अद्यतन तैयार किए गए विवरण [तथा यदि आवश्यक हो तो, अन्तिम-वेतन-प्रमाणपत्र, देखें नियम 195 (द)] के साथ पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी की मार्फत महालेखापाल के पास भेजेगा ।

(ग) पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी नियम 195 के खंड (ग) में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा ।

प्रकरण 3 : मंजूरी

200. (1) नियम 195 या 199 के उपबंधों के अधीन पेंशन कागज-पत्र प्राप्त होने पर महालेखापाल उनकी यथोचित जाँच करेगा । जहाँ पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी ने नियम 195 या 199 के खंड (ग) के अधीन अपनी अन्तिम सिफारिश लिख दी हो, वहाँ यदि महालेखापाल दावा ठीक पाए तो वह तुरन्त भुगतान-आदेश तैयार करेगा, किन्तु जिस तारीख को सरकारी सेवक निवृत्त होनेवाला हो, उसके एक पक्ष के पहले उसे न निकालेगा, वह ऐसा आदेश निकालने की सूचना उस प्राधिकारी को भी दे देगा । दूसरे मामलों में, वह सेवा और पेंशन की गणना के सही होने के संबंध में प्रमाण पत्र देगा और पेंशन के दावे के संबंध में अपनी रिपोर्ट और उस मामले में लागू होने वाले नियमों के उल्लेख के साथ पेंशन संबंधी कागज-पत्रों को पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी के पास लौटा देगा । वह अन्तिम-वेतन प्रमाण-पत्र अपने पास रख लेगा (देखें नियम 195 और 199) जबतक कि पेंशन का भुगतान लेखा परीक्षा के अन्य अंचल में न किया जानेवाला हो, और वैसी दशा में वह उस प्रमाण-पत्र को पेंशन की मंजूरी संबंधी आदेश की एक प्रति के साथ उस अंचल के महालेखापाल के पास भेज देगा ।

टिप्पणी : यदि पेंशन संबंधी कागजात स्पष्टत: अशुद्ध या अपूर्ण हो, तो महालेखापाल उन्हें अविलम्ब संशोधन और स्पष्टीकरण के लिये लौटा देगा ।

पेंशन-फारम 4 में पृष्ठ 2 के स्तंभ में, जो महालेखापाल की अभ्युक्ति के लिये अभिप्रेत है, अथवा उस फारम के पृष्ठ 3 में अपने प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट में, महालेखापाल किसी सेवा को अस्वीकृत करने के कारण संक्षेप में उल्लिखित करेगा तथा किसी स्पष्ट भिन्नता आदि के बारे में अपना स्पष्टीकरण देगा ।

(2) अनुमान्य पेंशन की रकम संबंधी अपनी रिपोर्ट में महालेखापाल बराबर नियम 139 और नियम 202 (1) की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करेगा ।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन मामला का त्वरित निष्पादन ।**

निर्णय लिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 के वाक्यखंड (1) में प्रावधानों के तहत महालेखाकार, बिहार किसी पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम एक पखवारा के अन्दर पेंशन और औपबन्धिक उपदान की अदायगी के लिए प्राधिकार निर्गत कर सकेंगे ।

2. अब एक प्रश्न उठाया गया है कि यदि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान अदाय कर दिया गया हो तो ऐसे मामले में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र जो पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होगा, की जाँच के समय पायी गई अधिक-अदायगी किस प्रकार वसूल की जायेगी ।

3. निर्णय लिया गया है कि ऐसी संभाव्यताओं के बचाव के लिए महालेखाकार, बिहार उपदान में से उपदान की 10 प्रतिशत राशि या 1,000 रु० जो कम हो, रोक रखेंगे/पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी उन पदाधिकारियों से जो उपदान के हकदार नहीं हैं, उन्हें औपबन्धिक पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के पहले 1,000 रु० (एक हजार रुपए) से अनधिक की नगद राशि जमा करवायेंगे। [*ज्ञापांक पेन–1810/63/3561 वि०, दिनांक 30-4-1965]

2.

***विषय : पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना।**

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 और 201 की ओर ध्यान दिया जाए जिनमें पेंशन-स्वीकृति के लिए प्रक्रिया विधायित है। नियम 200 उपबंधित करता है कि स्पष्ट मामलों में सेवा और पेंशन की गणना सम्बन्धी शुद्धता के लिए महालेखाकार को स्वीकृति पदाधिकारी के पास प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अन्य मामले में वैसा करना है। नियम 201 बोलता है कि जो पेंशन महालेखाकार द्वारा नियमों के अधीन स्पष्टत: और दृढ़त: अनुमान्य प्रमाणीकृत की जायेगी वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है कि उस मामला में औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिसमें महालेखाकार स्वीकृति प्राधिकारी को प्रमाण-पत्र नहीं भेजकर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 (1) में यथाविहित केवल पेंशन भुगतान आदेश जारी कर देते हैं। इस नियम में विहित प्रक्रिया अंतर्विष्ट करने का मूल उद्देश्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं के अनुपालन और पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने में विलम्ब के कारण पेंशनलाभी को होने वाली कठिनाई से बचाना था। यह प्रक्रिया बिहार पेंशन नियमावली के नियम 201 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अदायगी केवल औपबन्धिक है और प्रत्येक मामला में सक्षम प्राधिकारी को पेंशन की औपचारिक स्वीकृति निर्गत करनी होगी।

2. यह भी ध्यान दिलाया गया है कि अंतिम रूप से पेंशन स्वीकृत किए जाने के पहले सक्षम प्राधिकारी को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 और 201 (1) के प्रावधानों पर गौर करना चाहिए।

3. ऐसे मामले भी हैं जिनमें सेवा-निवृत्ति के समय सरकारी सेवक के जिम्मे सरकार की कतिपय राशियाँ बाकी पड़ी हैं, उदाहरणार्थ वेतन, भत्ते या छुट्टी-वेतन की अधिक निकासी या सम्मत या प्रत्यक्ष बकाए जैसे मकान-किराया, पोस्टल बीमा प्रीमियम, विभिन्न अग्रिमों आदि के बाकी पड़े अतिशेष। ये राशियाँ सरकारी सेवक की पेंशन से वसूल नहीं की जा सकतीं। अत: पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि यथासंभव अविलम्ब इन बाकी पड़ी राशियों की ओर सम्बद्ध सरकारी सेवक का ध्यान आकृष्ट किया गया है और उसे अंतिम पेंशन की औपचारिक रूप से स्वीकृति मिलने के पहले उन राशियों को अदा करने का अनुरोध किया गया है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक ओर जहाँ इन राशियों की वसूली अंतिम रूप से पेंशन-स्वीकृति के पहले कर ली जानी चाहिए वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के जिम्मे सरकार को बाकी पड़ी कुल राशि के सम्बन्ध में जानकारी देने में या उस राशि की वसूली के बाद अंतिम पेंशन की स्वीकृति करने में परिहार्य विलम्ब न हो। [*पत्र सं० 6665-वि०, दिनांक 30-5-1951]

[देखें परिशिष्ट 6 में राज्य सरकार का निर्णय सं० 1 तथा वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या 3014 वि०, दिनांक 31-7-1980 की कण्डिका 6।]

201. (1) जिस पेंशन के बारे में महालेखापाल प्रमाणित कर दें कि नियमों के अधीन साफ-साफ और ठीक-ठीक अनुमान्य है, उसे –

(क) किसी भी मामले में, राज्य सरकार मंजूर करेगी;

(ख) अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में वह सरकारी सेवक मंजूर करेगा जिसे निवृत्त सरकारी सेवक द्वारा रिक्त किये गए पद को भरने का प्राधिकार हो।

[1][**टिप्पणी 1 : अराजपत्रित सरकारी सेवक जो राजपत्रित पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए सेवा निवृत्त हो जाते हैं उनके पेंशन की स्वीकृति उप-खण्ड (क) में दिए गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।**]

1. विद्यमान टिप्पणी को टिप्पणी 2 बनाया गया और टिप्पणी-1, शुद्धि पत्र सं० 88, दिनांक 9-9-1961 द्वारा अन्त:स्थापित।

टिप्पणी 2 : राज्य सरकार इस नियम के अधीन अपनी शक्तियाँ कार्याध्यक्षों या अन्य अधीनस्थ सरकारी सेवकों को, जिन्हें निवृत्त सरकारी सेवक द्वारा रिक्त किये गए पद को भरने का प्राधिकार हो, सौंप सकती है ।

[ऊपर उप-खंड (क) के अधीन सौंपी गयी शक्तियों के लिए परिशिष्ट 1 देखें ।]

(2) मंजूरी प्राधिकारी की यह खास जिम्मेवारी है कि पेंशन मंजूरी का आदेश महालेखापाल के पास ठीक समय पर भेज दिया जाये, ताकि महालेखापाल को सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख तक पेंशन भुगतान आदेश निकालने के लिये काफी समय मिल सके । पेंशन मंजूरी आदेश निवृत्ति की नियत तारीख के 1 महीने से अधिक पहले न निकाला जाएगा, और महालेखापाल उसके एक पखवारे से अधिक पहले पेंशन भुगतान-आदेश न निकालेगा ।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

*निर्णय लिया गया है कि पेंशन/उपदान/पारिवारिक पेंशन को औपचारिक रूप से स्वीकृति जारी करने के बदले, महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी आवेदन-पत्र को अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ महालेखाकार के पास सत्यापनार्थ भेजने के पहले आवेदन-पत्र पर सामान्य रूप से अपना अंतिम आदेश लिखेंगे । पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात् और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 239 के प्रावधानों का सम्यक् रूपेण ध्यान करते हुए आवेदन-पत्र पर अपना आदेश अंकित करेंगे कि सेवा संतोषप्रद रही है और नियमों के अधीन अनुमान्य पूरी पेंशन देने के लिए अनुमोदित की जाती है या कि सेवा भली-भाँति संतोषप्रद नहीं रही है और ऐसी हालत में इसके लिए नियमों के तहत अनुमान्य पूरी पेंशन या/और उपदान से क्या कटौती की जाये । पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी महालेखाकार को आवेदन-पत्र अग्रसारित करने के पहले उसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे । पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अंकित आदेशों के प्राधिकार पर उचित सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार पेंशन-राशि निश्चित करेंगे और आवश्यक भुगतान आदेश जारी करेंगे । ये आदेश 1ली अगस्त, 1962 से प्रभावी होंगे ।

[*राज्यादेश सं० पेन–1030/61–19928 वि०, दिनांक 4-9-1962]

2.

*वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1031/61–19928 वि०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 की कंडिका 7 का निर्देश किया जाए जिसमें कहा गया है कि महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद पेंशन/उपदान/पारिवारिक पेंशन की औपचारिक स्वीकृति निर्गत करने के बदले पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी आवेदन-पत्र को अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ महालेखाकार के पास उनके सत्यापनार्थ भेजने के पहले आवेदन-पत्र पर सामान्य रूप में अपना अंतिम आदेश अंकित करेंगे ।

2. संलग्न नमूना-फारमों में से किसी एक में, जो मामला में उपयुक्त हो, सामान्य रूप में अंतिम आदेश अंकित किये जा सकेंगे ।

3. उन मामलों में जो उपर्युक्त वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 4-9-1962 की कंडिका 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकित औपचारिक स्वीकृति के महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं, महालेखाकार, बिहार औपचारिक स्वीकृति के पूर्व ही पेंशन-अदायगी आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत करने को प्राधिकृत किये जाते हैं, बशर्ते पेंशन-आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित भेजे गए हों –

(1) इस आशय का प्रमाण-पत्र की सेवा भली-भाँति संतोषप्रद रही है ।

(2) इस आशय का आदेय-प्रमाण-पत्र कि निवर्त्तमान सरकारी सेवक से वसूल करने की कोई बकाया नहीं है । **[*वित्त विभाग ज्ञापांक 642, दिनांक 14-1-1964]**

नमूना-फारम

(पेंशन के लिए)

अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा पूरी पेंशन और/या उपदान देने का आदेश करता है

और इसे महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये क्योंकि ऐसा करना नियमों के अनुसार अनुमान्य है इस पेंशन और/या उपदान की स्वीकृति त. ..... से शुरू होगी ।

या

अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती कुमारी ..... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अधोहस्ताक्षरी पूरी पेंशन और/या उपदान देने का आदेश करता है और इसे महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये, क्योंकि ऐसा करना नियमों के अनुसार अनुमान्य है, (किन्तु) निम्नांकित विनिर्दिष्ट राशि या प्रतिशत कम कर दिये जायें –

राशि या प्रतिशत जो पेंशन में कम होगा .....

राशि या प्रतिशत जो उपदान में कम होगा .....

इस पेंशन और/या उपदान की मंजूरी ता० ..... से प्रभावी होगी ।

पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान ..... कोषागार से देय हैं और ..... पर संभार्य है ।

वर्तमान आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि महालेखाकार द्वारा यथाप्राधिकृत पेंशन और/या उपदान की राशि बाद में पेंशनर के नियमानुकूल हकदारी से अधिक पायी जायेगी तो आधिक्य को लौटाना होगा ।

इस शर्त्त की स्वीकृति सम्बन्धी घोषणा पदाधिकारी से प्राप्त कर ली गई है और संलग्न है । इस शर्त्त की स्वीकृति सम्बन्धी घोषणा प्राप्त कर ली जायेगी और अलग से भेज दी जायेगी ।

.....

पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी

के हस्ताक्षर और पदनाम

(मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए)

(क) अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकारा जा सकता है जैसा नीचे खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से सम्बन्धित नियमों में अनुमान्य ।

या

(क) अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकारा जा सकता है जैसा नीचे खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से सम्बन्धित नियमों में अनुमान्य है, (परन्तु) नीचे अंकित मिश्रित राशि या प्रतिशत कम कर दी जायेगी ।

उपदान में कम की जानेवाली राशि या प्रतिशत .....

(ख) व्यक्ति का नाम	पता	मृत पदाधिकारी से सम्बन्ध	मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अंशगत राशि

2. वर्तमान आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि महालेखाकार द्वारा यथाप्राधिकृत उपदान-राशि बाद में सम्बद्ध व्यक्ति के नियमानुकूल हकदारी से अधिक पाई जायेगी तो आधिक्य को लौटाना होगा ।

इस शर्त्त को स्वीकार करने की घोषणा व्यक्ति से प्राप्त कर ली गई है और संलग्न है । इस शर्त्त को स्वीकार करने की घोषणा प्राप्त कर ली जायेगी और अलग से भेज दी जायेगी ।

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान ..... कोषागार से देय है और .....पर संभार्य है ।

.....

स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी

तिथि ..... के हस्ताक्षर और पदनाम ।

टिप्पणी : अवशिष्टीय उपदान के मामला में मृत पदाधिकारी की सेवा पहले ही सत्यापित कर ली जानी चाहिए, और उपर्युक्त खण्ड (ख) में अपना समाधान ..... भलीभाँति संतोषप्रद रही/नहीं रही है" का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

(पारिवारिक पेंशन के लिए)

अपना समाधान करने के बाद कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी ..... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को जो उक्त स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के (यहाँ सम्बन्ध लिखें) हैं, ता० ..... से ..... तक ..... रुपए प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये, जैसा नियमों के अन्तर्गत अनुमान्य है ।

या

अपना समाधान करने के बाद कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी ..... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा आदेश करता है कि उक्त स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के ..... (यहाँ सम्बन्ध लिखें) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... ता० ..... से ..... तक रु० ..... प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति नियमानुकूल महालेखाकार द्वारा दी जाये, (परन्तु) निम्नांकित मिश्रित राशि या प्रतिशत कम कर दिया जाये –

पारिवारिक पेंशन की राशि या प्रतिशत में कमी –

यह आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्राप्त महालेखाकार से यथा प्राधिकृत पारिवारिक पेंशन नियमाधीन उसकी हकदारी-राशि से अधिक होगी तो उसे आधिक्य लौटा देना होगा । इस शर्त्त के स्वीकारने की घोषणा व्यक्ति से ले ली गई है और संलग्न है । व्यक्ति द्वारा इस शर्त्त के स्वीकारने की घोषणा प्राप्त करके अलग से भेज दी जायेगी ।

पारिवारिक पेंशन ..... कोषागार से देय है और ..... पर संभार्य है ।

.....

स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी

तिथि ..... के हस्ताक्षर और पदनाम ।

टिप्पणी : सेवानिवृत्ति पश्चात् मृत्यु की दशा में, मृत पदाधिकारी की सेवा का पूर्वमेव सत्यापित हो जाने के फलस्वरूप "अपना समाधान ..... भलीभाँति संतोषप्रद रही है । नहीं रही है" शब्दसमूह का प्रयोग नहीं होगा ।

202. (1) यदि सरकारी सेवक को मंजूर पेंशन की रकेम बाद में उस रकम से अधिक पायी जाये जिसका हकदार वह नियमों के अधीन हो, तो उसे अधिक रकम को वापस करने का आदेश दिया जायेगा ।[1] [इसके प्रयोजनार्थ पेंशन स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक को इस आशय की सूचना निर्गत की जायेगी कि पेंशन के रूप में निर्धारित पेंशन से अधिक प्राप्त राशि को इस सूचना प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर वापस कर दे । सूचना के अनुपालन में असफल होने पर पेंशन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी इस आशय का आदेश पारित करेंगे कि ऐसी अधिकाई की राशि का समायोजन सरकारी सेवक के पेंशन राशि में से एक या अधिक किस्तों में जैसा प्राधिकारी आदेशित करे कटौती करके ही भविष्य में पेंशन का भुगतान करें ।

(2) महालेखापाल द्वारा पेंशन-रिपोर्ट दी जाने के बाद यदि कोई ऐसी घटना घटे जिससे पेंशन राशि की पुनः गणना आवश्यक हो जाये, तो यथास्थिति, कार्याध्यक्ष या कार्यालय-प्रधान महालेखापाल को इसकी सूचना अविलम्ब देगा । यदि ऐसी कोई घटना न भी हो, तो भी सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर महालेखापाल को इस बात की रिपोर्ट दी जायेगी ।

[2][**टिप्पणी :** इस नियम के प्रयोजनार्थ पेंशन/पारिवारिक पेंशन/सेवा उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/बकाया पेंशन या उपदान मंजूर करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति निवृत्त होनेवाले सरकारी सेवक से अनुबन्ध (क) में

1. ज्ञाप सं० पेन-1021/65-7294 वि०, दिनांक 22-7-1965 द्वारा जोड़ा गया ।
2. अधिसूचना सं० 10629 वि०, दिनांक 16-9-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

एक घोषणा पत्र पेंशन स्वीकृत करने के पहले प्राप्त करेगा । उसी प्रकार वह प्राधिकारी परिवार पेंशन या मृतक सरकारी सेवक पेंशनर के विधिक वारिस से अनुबन्ध (ख) में एक घोषणापत्र इस आशय का प्राप्त करेगा ।

[1][अनुबन्ध "क"

(निवृत्त होनेवाले सरकारी सेवक द्वारा हस्ताक्षरणीय)

यहाँ कि ..... (यहाँ उक्त पदाधिकारी का पदनाम लिखें जो पेंशन/सेवा उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करते हैं) ने मुझे दिनांक ..... के प्रभाव से रुपया ..... प्रतिमास पेंशन या रुपया ..... उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करने हेतु अनुशंसित किया है । मैं यह अवधारित करता हूँ कि उक्त राशि जो पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के रूप में प्राप्त करूँगा वह पुनरीक्षण योग्य है तथा यदि किसी कारण यह पाया जाये कि मेरे द्वारा प्राप्त राशि नियमत: प्रावधानित राशि से अधिक है तो मैं वादा करता हूँ कि अधिकाई की राशि को मैं लौटा दूँगा ।

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

1. साक्षी का हस्ताक्षर
   पेशा और पता
2. साक्षी का हस्ताक्षर
   पेशा और पता

यह घोषणा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यरित होना चाहिए जो उस शहर, ग्राम या परगना का हो जहाँ आवेदक रहता है ।

[1][अनुबन्ध "ख"

(मृतक सरकारी सेवक के वैध उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरणीय)

यह कि ..... (परिवार पेंशन/मृत्यु-सह-उपदान/पेंशन की बकाया राशि/या उपदान स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम यहाँ दें) ने मुझे दिनांक ..... से रुपया ..... परिवार पेंशन की राशि के रूप में या ..... रुपया मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/बकाया पेंशन या उपदान की राशि जो श्री/श्रीमती ..... (सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम) स्वीकृत करने हेतु अनुशंसित किया है । ऐसी स्वीकृत राशि पुनरीक्षणीय है तथा यदि पुनरीक्षण के दौरान यह पाया जाये कि स्वीकृत राशि, नियमत: प्रावधानित राशि से अधिक है, तो मैं उक्त अधिकाई की राशि को वापस करने की प्रतीज्ञा करता हूँ/करती हूँ ।

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर
   साक्षी का पेशा और पता
2. हस्ताक्षर
   साक्षी का पेशा और पता

203. (क) राज्य सरकार को नियमों के निर्वचन तथा ऐसा अनुग्रह करने की, जिसका उपबंध इस नियमावली में नहीं है, तथा शक्ति रहेगी ।

यदि नियमों के निर्वचन करना हो या ऐसा अनुग्रह जिसका उपबंध इस नियमावली में नहीं है, करने का प्रस्ताव हो, तो कार्याध्यक्ष या कार्यालय-प्रधान मामले को, अपनी राय और सिफारिश के साथ राज्य सरकार के संबद्ध प्रशासी विभाग के पास भेज देगा ।

(ख) जबतक सरकार का आदेश प्राप्त न हो जाये, तबतक किसी विशेष अनुग्रह की सिफारिश संबद्ध सरकारी सेवक को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कभी न सूचित की जायेगी ।

(ग) इस नियम के अधीन की गई हरेक खास सिफारिश के साथ पेंशन फारम 4 में आवेदन और यथास्थिति, उस फारम के पृष्ठ 2 में या अध्याय 9 में विहित फारमों में सेवा-विवरण संलग्न रहेंगे ।

---

1. (I) प्रत्येक लाभभोगी द्वारा अलग-अलग घोषणा-पत्र देना है ।
   (II) यह घोषणा उस क्षेत्र शहर/गाँव/परगना के निवासी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो जहाँ आवेदक रहता है ।

राज्य सरकार के निर्णय –

1.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 (क) के अन्तर्गत राजस्व (निबंधन) विभाग के अधीन विभिन्न निबंधन कार्यालयों के नियमित स्थापना में लाये गये अतिरिक्त लिपिकों को पेंशन, उपदान एवं पारिवारिक पेंशन देने की सुविधा ।**

राजस्व (निबन्धन) विभाग द्वारा विभिन्न निबन्धन कार्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त लिपिकों को तिथि 1-4-1971 को या बाद में नियमित स्थापना में लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया है । उक्त कोटि के कर्मचारियों ने नियमित स्थापना में आने के पूर्व काफी अवधि तक अतिरिक्त लिपिक के पद पर कार्य किया है, परन्तु नियमित स्थापना में आने के बाद न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा (10 वर्षों की लगातार स्थायी सेवा एवं 15 वर्षों की लगातार अस्थायी सेवा) बिना पूरी किये ही वे सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । फलस्वरूप वे तथा उनके परिवार पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन के नियमतः भागी नहीं हो सके, क्योंकि उनके द्वारा अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा पेंशन हेतु परिगणित नहीं की जाती है । इस प्रकार, इस कोटि के लिपिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को काफी आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ती है ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने तिथि 1-4-1971 को या बाद में नियमित स्थापना में लाये गये अतिरिक्त लिपिकों को राहत प्रदान करने हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 (क) के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन पेंशनरी लाभ जैसे पेंशन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त उपदान/उपदान तथा पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है –

(1) यह पेंशनरी लाभ दिनांक 1-4-1971 को या बाद में स्थायी/अस्थायी रूप से नियमित स्थापना में नियुक्त किये गये निबंधन कार्यालय के अतिरिक्त लिपिकों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं और जिनकी कुल नियमित सेवा न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा अर्थात् 10 वर्षों की लगातार स्थायी या 15 वर्षों की लगातार अस्थायी सेवा से कम हो, देय होगा ।

(2) न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार स्थायी या 15 वर्षों की लगातार अस्थायी पेंशन प्रदायी सेवा अवधि की कमी को उतनी अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा के साथ जोड़कर पूरी कर ली जाये । इसके निमित्त लिपिक के पद पर समय-समय की गई सेवा अवधि को भी आवश्यकतानुसार जोड़ा जाये और सेवा में भंगों को स्वतः क्षान्त समझा जाये ।

(3) पारिवारिक पेंशन सामान्य प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगा ।

3. इस कोटि के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि को अनुवर्ती तिथि 30-6-1979 तक अनुमान्य पेंशन उपदान एवं पारिवारिक पेंशन के 75 प्रतिशत औपबंधिक रूप में विहित प्रपत्र में स्वीकृत किया जाये । औपबंधिक पेंशन की राशि निर्धारित न्यूनतम पेंशन रु० 40/- (चालीस रुपये) प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए । इसकी प्रविष्टि सेवा-पुस्त/अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र में भी कर दी जाये । औपबन्धिक पेंशन आदि की स्वीकृति एवं भुगतान जहाँ से पेंशनर सेवानिवृत्त/मृत हुए हैं, उसके कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाये और औपबंधिक पेंशन का अविलम्ब भुगतान किया जाये । इसकी सूचना वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाये ।

4. अपने अधीनस्थ सभी निबंधन पदाधिकारी को अविलम्ब औपबंधिक पेंशन आदि स्वीकृति एवं भुगतान करने का निर्देश देने की कृपा की जाये । साथ ही अंतिम स्वीकृति देकर महालेखाकार, बिहार के पास मामले तिथि 30-6-1979 के पूर्व भेज दिए जाएँ और इसकी सूचना वित्त (पेंशन शाखा) विभाग को दी जाये ।[***ज्ञाप सं० P.C. 2-9-45/78-79-2 वि०, दिनांक 16-1-1979**]

2.

***विषय : कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक 425 वि०, दिनांक 31-3-1976 (प्रतिलिपि संलग्न) को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने पेंशन नियमावली के नियम 203 के अन्तर्गत वैसे कर्मचारियों, जो दस वर्षों से कम कार्यभारित सेवा में रहकर भी तिथि 1-4-1978 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में आये हों तथा नियमित स्थापना में सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा (स्थायी सेवा होने पर 10 वर्ष तथा अस्थायी होने पर 15 वर्ष)

पूरी नहीं कर पाये हों, को भी पेंशन प्रदायी सेवा में कमी के तुल्य कार्यभारित सेवा जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा पूरी करने की सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें उन्हें पेंशन तथा उपदान देय हो सके। यह भी निर्णय किया गया है कि यदि नियमित स्थापना में आने के बाद न्यूनतम पारिवारिक पेंशन प्रदायी सेवा (एक वर्ष) पूरी करने के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक वर्ष पूरी करने में जो कमी रह जाती है उससे उनकी कार्यभारित सेवा को उसमें जोड़कर उन्हें पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति भी दे दी जायेगी।

2. यह सुविधा वित्त विभाग के उपर्युक्त आदेश की कंडिका-2 (ख) पर उल्लिखित शर्त्त के अन्तर्गत ही दी जायेगी यदि कार्यभारित कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त थी।

3. यह आदेश तिथि 1-4-1971 एवं उसके बाद नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों के मामले में लागू होगा। [*ज्ञाप संख्या पेन-P.C.-1-1-02/79-505-वि०, दिनांक 6-3-1978]

3.

***विषय : दस वर्षों से अधिक लगातार सेवा वाले कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 एवं उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन की स्वीकृति।**

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेश संख्या-13327, दिनांक 29-6-1971 में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तिथि 1-4-1971 से वैसे सभी कार्यभारित कर्मचारीगण को सम्बन्धित विभाग की नियमित स्थापना में स्थायी रूप से ले लिया जाये जिनकी लगातार सेवा उक्त तिथि को दस वर्षों से अधिक की हो। सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुसार उन्हें नियमित स्थापना की सभी सुविधाएँ जिनमें पेंशन की सुविधा भी सम्मिलित है देय है। परन्तु पेंशन के वर्तमान नियमों के अनुसार 10 वर्षों की न्यूनतम स्थायी सेवा पर ही पेंशन अनुमान्य है तथा कार्यभारित सेवा की गणना पेंशन के लिए नहीं की जाती है। अत: उपरोक्त निर्णय के बावजूद भी पेंशन के वर्त्तमान नियमों के अनुसार उपरोक्त कोटि के वैसे व्यक्तियों को, जो तिथि 1-4-1971 के पूर्व सेवानिवृत्त होंगे, पेंशन अनुमान्य नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप उपरोक्त आदेश में निहित उद्देश्यों की पूर्त्ति भी सम्भव नहीं हो सकेगी।

2. ऊपर में बतायी गयी परिस्थिति में सरकार ने इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया है कि तिथि 1-3-1971 एवं बाद से नियमित स्थापना में स्थायी रूप से लिये गये उपरोक्त कोटि के सभी कार्यभारित कर्मचारीगण को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन आदि की अनुमान्यता निम्नलिखित शर्त्तों के अनुसार होगी –

(क) वैसे कार्यभारित कर्मचारीगण, जो तिथि 1-4-1971 एवं बाद में नियमित स्थापना में लिए गए हों तथा जिनकी कुल नियमित सेवा 10 वर्षों से कम होती हो, को न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के लिए जितनी अवधि की कमी हो उतनी अवधि की तिथि 1-4-1971 के पूर्व की कार्यभारित सेवा की गणना पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिए की जायेगी। इस अवधि की गणना मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निर्धारित करने के लिए भी की जायेगी। पारिवारिक पेंशन में भी यदि कुल नियमित सेवा 1 वर्ष से कम होती हो तो उस कमी को कार्यभारित सेवा के उतने अंश को लेकर पूरा कर लिया जायेगा।

(ख) पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन के निमित्त विशेष रूप से गणना की गई अवधि में नियोजक द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त अंशदान की राशि सरकार को लौटा दी जायेगी अथवा सम्बन्धित कार्यभारित कर्मचारी को देय पेंशन और उपदान अथवा पारिवारिक पेंशन की राशि से इसका सामंजन कर दिया जायेगा।

3. यह आदेश तिथि 1-4-1971 एवं इसके बाद नियमित स्थापना में स्थायी रूप से लिए गए राज्य के सारे कार्यभारित कर्मचारीगण के मामलों में लागू होगा। [***वित्त विभाग संख्या पी०सी०-1-118/ 76/3425 वि०, दिनांक 31-3-1976**]

4.

***विषय : कार्यभारित कर्मचारियों को राज्य सरकार की नियमित स्थापना में लिया जाना तथा पेंशन में अतिरिक्त लाभ।**

सम्प्रति 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने वाले कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में लेने का प्रावधान है। परन्तु सिंचाई विभाग एवं पथ-निर्माण विभाग के अधीन कार्यभारित स्थापना में कार्यरत् कार्यभारित

कर्मचारियों को 5 वर्षों की लगातार संतोषजनक सेवा पूरी करनेवाले भ्रष्टाचार एवं कदाचार मुक्त सेवकों को नियमित स्थापना में लिये जाने का निर्णय सम्बद्ध विभागों द्वारा लिया गया है । अन्य विभागों में सम्प्रति यह व्यवस्था लागू नहीं रहने की वर्षों में 10 वर्षों की लगातार सेवा करनेवाले कार्यभारित सेवकों को नियमित स्थापना में लेने की व्यवस्था है जिसकी एकरूपता नहीं रह गयी है । इस स्थिति के परिहार के लिए पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी कार्य विभागों के अधीन कार्यरत् सभी कार्यभारित सेवक जिन्होंने एक ही पद पर 5 वर्षों की संतोषजनक लगातार सेवा पूरी कर ली है, को निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत, वित्त विभाग के परामर्श से आदेश निर्गत कर नियमित स्थापना में ले लिया जाये –

(क) कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में परिणत करने पर कार्यभारित स्थापना के सम्बन्धित पद ही नियमित स्थापना में समपरिवर्तित हो जायेंगे;

(ख) जिन कार्यभारित सेवकों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया गया हो या जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित हो अथवा जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लम्बित हों, उनको वर्तमान आदेश के अन्तर्गत नियमित स्थापना में नहीं लिया जायेगा;

(ग) कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में लेने पर उनके वेतन-भत्ते पर व्यय हेतु संधारण इकाई में उपबन्धित राशि नियमित स्थापना के सम्बन्धित बजट शीर्ष में हस्तानान्तरित कर दी जायेगी ।

(घ) वित्त विभाग के पत्र संख्या 8954, दिनांक 23 जुलाई, 1975 के जरिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में कार्यभारित स्थापना में न तो कोई नया पद सृजित किया जाए और न ही रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाये । इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से किया जाए । यदि किसी सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाए तो उस सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए ।

(ङ) इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी आदेश एवं नियम इस अंश तक संशोधित समझा जाये ।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3425 वि०, दिनांक 31 मार्च, 1976 तथा 505 वि०, दिनांक 6 मार्च, 1980 के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को नियिमित स्थापना में किये जाने पर उनकी न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा में कमी के बराबर के कार्यभारित स्थापना में की गयी सेवा जोड़कर पेंशन स्वीकृत करने की सुविधा प्रदान की गयी है । इस पर सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उन्हें पेंशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुविधाएँ देने का निर्णय लिया है –

(क) नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों को सामान्य पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्ष या कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी सेवावधि दोनों में से जो कम हो, जोड़ दी जाये । ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जायेंगी, उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान, अगर कोई हो तो राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्यकोष में जमा कर देनी होगी ।

(ख) उक्त कोटि के कर्मचारियों को उपर्युक्त आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन की राशि में 30 रु० जोड़कर पेंशन की राशि निश्चित की जायेगी, बशर्ते वह अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर परिगणित होने वाली पेंशन की राशि से अधिक नहीं हो ।

(ग) उपर्युक्त उप-कंडिका-3 में उल्लिखित 30 रु० की राशि पेंशन लघुकरण की गणना में नहीं की जाएगी । [*ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-29-02/84-3058 वि०, दिनांक 22-10-1984]

5.

***विषय : कार्यभारित कर्मचारियों को 'पेंशन' प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देने के लिए कार्यभारित स्थापना में बितायी गई अवधि को क्वालिफाईंग पीरियड की गणना करने के सम्बन्ध में ।**

वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या पी०सी० 02-29-02/84-3058, दिनांक 22-10-1984 के द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों के पेंशनादि के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि –

(क) नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों को सामान्य पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्ष या कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी सेवावधि दोनों में से जो कम हो जोड़ दी जाये। ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जाएँगी, उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान अगर कोई हो, की राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्यकोष में जमा कर देनी होगी।

(ख) उक्त कोटि के कर्मचारियों को उपर्युक्त आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन की राशि में 30 रु० जोड़कर पेंशन की राशि निश्चित की जायेगी, बशर्ते कि वह अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर परिगणित होने वाली पेंशन की राशि से अधिक नहीं हो।

(ग) उपर्युक्त उप-कंडिका में उल्लिखित 30 रु० की राशि पेंशन लघुकरण की गणना में नहीं की जायेगी।

2. वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 3 पी०आर०सी० 45-83-1560, दिनांक 27-2-1974 के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि सरकारी सेवक के द्वारा कार्यभारित स्थापना में की गई सेवा कालबद्ध प्रोन्नति के लिए परिगणित नहीं की जायेगी।

3. कार्यभारित कर्मचारियों को पेंशन, प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देने के लिए कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी अवधि को क्वालिफाईंग पीरियड की गणना का विषय सरकार के विचाराधीन था। अतः पूर्ण विचारोपरान्त पूर्व में लिए गए निर्णय को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है –

(ए) ऐसे कार्यभारित कर्मचारी जिनको वर्त्तमान अनुदेशों के अधीन पेंशन एवं उपदान अनुमान्य होता है उनके द्वारा कार्यभारित स्थापना में बितायी गई पूरी सेवावधि को शामिल करते हुए पेंशन एवं उपदान के लिए क्वालिफाईंग पीरियड की गणना की जायेगी, बशर्ते ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जाएँगी उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान अगर कोई हो, की राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्य कोष में जमा कर देनी होगी।

(बी) नियमित स्थापना में आने के पश्चात् कार्यभारित सेवा वृद्धि को जोड़ते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा उपलब्ध करायी जाये, बशर्ते कि उससे किसी भी नियमित कर्मचारी की वरीयता का अवक्रमण नहीं होता हो। वरीय प्रवर कोटि या कालबद्ध प्रोन्नति के सम्बन्ध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व का कोई भी बकाया अनुमान्य नहीं होगा। इस प्रसंग में पूर्व में निर्गत सभी आदेश एवं अनुदेश इस अंश तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. इस आदेश का प्रभाव आदेश निर्गत होने की तिथि से होगा। [*वित्त विभाग, संकल्प संख्या 3 पी०ए०आर० 01/86 खण्ड 1503 वि०, दिनांक 27-3-1987]

प्रकरण 4 : प्रत्याशा-पेंशन

204. (क) जब कोई सरकारी सेवक, जिसकी पेंशन भारत में देय हो, इस अध्याय के पूर्ववर्त्ती प्रकरण के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन अन्तिम रूप से निर्धारित और तय होने के पहले ही निवृत्त होनेवाला हो तब महालेखापाल उतनी पेंशन का भुगतान मंजूर करेगा, जितनी कि पूरी सावधानी के साथ अविलम्ब संक्षिप्त जाँच-पड़ताल के बाद वह समझे कि सरकारी सेवक पाने का हकदार है, परन्तु ऐसी पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जबतक कि निवृत्त होनेवाला सरकारी सेवक निम्नलिखित घोषणा पर हस्ताक्षर कर दे –

> "चूँकि (यहाँ अग्रिम मंजूर करनेवाले सरकारी सेवक का पदनाम लिखें), ने मेरी पेंशन की रकम नियत करने के लिए आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशी में, मुझे कच्चे तौर पर प्रतिमास .... रु० अग्रिम देने की सम्मति दी है, इसलिए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपचारिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है, और प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति न करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली कच्ची पेंशन की रकम उस पेंशन से अधिक है जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस पेंशन का हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक दी गई रकम लौटा दूँगा।"

(ख) जब कोई सरकारी सेवक, जिसकी पेंशन इंगलैंड में देय हो, अपनी पेंशन के अन्तिम रूप से निर्धारित और तय होने के पहले ही निवृत्त होनेवाला हो, तब महालेखापाल, अविलम्ब पूरी सावधानी के साथ संक्षिप्त जाँच-पड़ताल करने के बाद, पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी एवं राज्य सरकार की मार्फत भारतीय उच्च-आयुक्त को निम्नतम रकम जिसका हकदार वह सरकारी सेवक को समझता हो, प्रतिवेदित करेगा। सरकारी सेवक से उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा–जैसे घोषणा प्राप्त होने पर उच्च आयुक्त अपने विवेकानुसार प्रतिवेदित रकम या यथोचित रकम तुरन्त भुगताने की मंजूरी देगा।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन-स्वीकृति के लिए बिहार पेंशन नियमों और प्रक्रिया का सरलीकरण।**

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने पेंशन नियमों और प्रक्रिया के सरलीकरण के सुझाव दिये हैं ताकि पेंशन-मामले के समापन में विलम्ब न हो। राज्य सरकार ने उन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये हैं –

(1) विद्यमान पेंशन नियमों के तहत प्रत्येक सरकारी सेवक को औपचारिक आवेदन पत्र देना होता है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन के लिए राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी सेवक को कोई औपचारिक आवेदन-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय-प्रधान सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद बिहार पेंशन नियमावली के फारम 4 में एक आवेदन पत्र तैयार करेंगे और उसे सभी आवश्यक कागजात के साथ महालेखाकार को सुपुर्द करेंगे, ताकि अंकेक्षण कार्यालय फारम के तीसरे पृष्ठ पर रिपोर्ट कर सके।

(2) विद्यमान नियमों के तहत, राजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को कागजात तैयार करने होते हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है कि राजपत्रित सेवक के पेंशन-कागजात महालेखाकार द्वारा प्रथमतः तैयार किया जायेगा। इन्हें समय पर तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध किया जायेगा, किन्तु जबतक अन्यथा न ज्ञात हो तबतक उनको रिपोर्ट करने की तिथि या सेवानिवृत्ति की तिथि, जो पहले हो, से तीन महीना बीत जाने के बाद पेंशन के विषय में प्रशासी पदाधिकारी की स्वीकृति मान ली जायेगी।

(3) विद्यमान नियमों के तहत स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दिये जाने और महालेखाकार द्वारा पेंशन अदायगी आदेश निर्गत कर दिये जाने के बाद पेंशन दी जाती है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय प्रधान जिनके अधीन सेवानिवृत्त अराजपत्रित सरकारी सेवक सेवारत था, एक अलग बिल फारम 4 (प्रति संलग्न) के आधार पर उप कोषागार से, जिससे वेतन और भत्ते की निकासी होती थी, 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान, मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान निकालकर सरकारी सेवक को जिस महीना में सेवानिवृत्त होगा उसके उत्तरवर्त्ती महीना की पहली तारीख को भुगतान करेगा और इस आशय की सूचना अंकेक्षण कार्यालय को देगा। यदि पेंशनर अपने निवास स्थान पर मनीआर्डर या बैंक-ड्राफ्ट से अदायगी लेना चाहेंगे तो पेंशन मनीआर्डर/बैंक-ड्राफ्ट से भेजी जायेगी और विभाग कमीशन-शुल्क को आकस्मिक-शुल्क के रूप में वहन करेगा, पेंशन की ऐसी अदायगी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने तक जारी रहेगी और ऐसा करते हुए महालेखाकार कार्यालय में पेंशन-मामले के अंतिम निष्पादन पर लगनेवाला समय का लिहाज नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त रीति से भुगतान की गई पेंशन और उपदान औपबन्धिक और अंकेक्षण कार्यालय द्वारा समंजेय होंगे।

राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में महालेखाकार आवश्यक कार्रवाई करेंगे ताकि सेवानिवृत्त राजपत्रित सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति के महीने के अनुवर्त्ती महीने की पहली तारीख को 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निकाल सकें।

कदाचित् ऐसे भी हों जहाँ सेवानिवृत्ति के छह महीने के अन्दर पेंशन का अंतिम रूप से निबटारा नहीं हो सके, उनमें केवल महालेखाकार के विशेष प्राधिकार पर औपबन्धिक अदायगी जारी रहेगी, जिसके लिए

प्राधिकार कार्यालय-प्रधान के अनुरोध पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कार्यालय-प्रधान को सूचना देकर कोषागार पदाधिकारी को निर्गत किया जायेगा । पेंशन-कागजात, अग्रसारित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त करने के बाद उनपर अंकेक्षण पदाधिकारी उन पर आवश्यक जाँच शुरू करेंगे और फारम के तीसरे पृष्ठ पर अपना अंकेक्षण-मुखांकन अंकित करेंगे जिसमें कुल अर्हता प्रदायी सेवावधि दर्शित की जाएगी जो सत्यापित और स्वीकृत की गयी हो, तथा राशि और तिथि इत्यादि जब से अनुमान्य होगी, दर्शित की जायेंगी । यदि पेंशन उसकी अंकेक्षण-सर्किल में देय होगी तो अंकेक्षण कार्यालय उचित जाँचोपरान्त पेंशन अदायगी आदेश तैयार करेगा और पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने के बाद से अथवा उस अवधि की तिथि के बाद से जिस अवधि को महालेखाकार ने विशेष रूप से औपबन्धिक अदायगी जारी रखने के लिए बढ़ाया है, दोनों में जो बाद की हो, अदायगी की व्यवस्था करेगा । वह सरकारी बकायों, यदि हो, का समंजन करके उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की शेष रकम के लिए भी प्राधिकृत करेगा । यदि पदाधिकारी ने कार्यालय- प्रधान के द्वारा उपदान-निकासी का विकल्प दिया है तो अंकेक्षण-पदाधिकारी उस कार्यालय को वैसी अदायगी करने को प्राधिकृत करेगा । इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित कार्यालय को भी भेजी जायेगी । महालेखाकार कार्यालय-प्रधान से भी उसके द्वारा अदाय की गई औपबन्धिक पेंशन का विवरण प्राप्त करेंगे और पेंशनर को उसको बाकी रकम की अदायगी (अथवा) फाजिल अदायगी की वसूली के लिए प्राधिकार निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे । पेंशन अदायगी आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत किये जाने की सूचना तत्परतापूर्वक पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकार को दी जायेगी और पेंशन कागज उनको लौटा दिया जायेगा ।

यदि अंकेक्षण की अन्य सर्किल में पेंशन अदा की जानी है तो अंकेक्षण पदाधिकारी पेंशन स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी के आदेश और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र यदि प्राप्त हो, सहित उसका अंकेक्षण-मुखांकन, पेंशन आवेदन-पत्र की प्रति उस सर्किल के अंकेक्षण पदाधिकारी को भेजकर निदेश देंगे कि वह सेवानिवृत्ति के छह महीने के बाद के दिन से आवश्यक पी०पी०ओ० निर्गत कर दें ।

छह महीने या विनिर्दिष्ट विस्तृत अवधि तक के लिए अदा की गई औपबन्धिक पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान का समंजन उस अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसकी सर्किल में औपबन्धिक अदायगियाँ की गई थीं ।

टिप्पणी : उपदान (ग्रेच्युटी)/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के बकाया को छह महीने या विस्तारित अवधि जबतक कार्यालय-प्रधान द्वारा पेंशन की औपबन्धिक अदायगी की जाती है, के बाद तक अनावश्यक तरह से नहीं रोक रखा जाना चाहिए बशर्ते कि उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान को प्राधिकृत करनेवाली सभी अन्य अपेक्षायें पूरी हो गई हों और पेंशनर से कोई रकम बाकी नहीं हो । ज्योंहि औपचारिकतायें पूरी हो जायें और महालेखाकार द्वारा अनुमान्य उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निश्चित कर दी जाए महालेखाकार उसे प्राधिकृत कर देंगे ।

विद्यमान नियम के अनुसार पेंशन की गणना सेवा की अंतिम तीन वर्षों की उपलब्धियों की औसत पर की जाती है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन की गणना 12 महीनों की औसत उपलब्धियों के आधार पर की जाये ।

विद्यमान नियम के अनुसार यदि स्थायी सरकारी सेवक विभिन्न कार्यालयों में सेवा करता है तो जहाँ-जहाँ उसने सेवा की वहाँ-वहाँ के प्राधिकारियों से सेवा-सत्यापन का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । यद्यपि उक्त आशय की प्रविष्टियाँ सेवा-पुस्तिका में दर्ज रहती हैं । पेंशन-मामले के अंतिम निबटारे का विलम्ब का यह मुख्य कारण होता है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में केवल सेवा की पहली तिथि जो पेंशन की अर्हता देती है, सेवावृत्ति की तिथि और बीच की वह अवधि, जो पेंशन की अर्हता नहीं देती है, के सत्यापन किये जायें और पेंशन के लिए अनर्ह करने वाली सेवा को छाँटकर अर्हताप्रदायी सेवा विनिश्चित कर ली जाए ।

ये आदेश 1ली अप्रैल, 1967 से प्रभावी होंगे । [*ज्ञापांक पेन–1032/67-8739 वि०, दिनांक 13-7-1967]

***फारम टी०आर०**

अराजपत्रित पदाधिकारियों (उन राजपत्रित पदाधिकारियों समेत जिनका वेतन और भत्ते स्थापना-विपत्र पर निकाले जाते हैं) के औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी/मृत्यु-सह-निवृत्ति ग्रेच्युटी की निकासी का बिल-फारम/

जिला लेखा-शीर्ष भाउचर सं० ..... लिस्ट .....

वास्ते .....

रु० पै०

मास ..... 19 ..... के लिए
श्री/श्रीमती/कुमारी .....
को देय औपबन्धिक पेंशन/और ग्रैच्युटी/मृत्यु-
सह-निवृत्ति ग्रैच्युटी की राशि प्राप्त की

आयकर घटायें –

शुद्ध राशि .....

(शब्दों में) .....

पेंशनर का गैर-नियोजन-प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

तिथि ..... 19 ..... निकासी पदाधिकारी का पदनाम .....

जाँचा और दर्ज किया । अदा करें रु० ..... रु० .....

मामले में ..... रु०

कोषागार लेखापाल आय पर 4 – कर रु० .....

तिथि ..... 19 ..... कोषागार पदाधिकारी .....

महालेखाकार कार्यालय में प्रयोगार्थ

स्वीकार किया रु० .....

आपत्ति की रु० .....

अंकेक्षक ..... अधीक्षक ..... राजपत्रित पदा० .....

[*फारम टी०आर०, ज्ञापांक पेन–1032/67/8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967]

2.*

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली और पेंशन-स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण और सेवा-पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृति-राशि का अंकन ।**

बिहार पेंशन नियमावली और पेंशन-स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण पर वित्त विभाग का ज्ञापांक पेन–1032/67-8739, दिनांक 13 जुलाई, 1967 का निर्देश करें । महालेखाकार, बिहार का ध्यान इस ओर गया है कि पेंशनर की सेवा-पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में छह महीने की अवधि के लिए 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की औपबन्धिक अदायगी अंकित नहीं रहती है । फलत: पेंशनर को अंतिम रूप से पेंशन और उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करने में देरी होती है ।

अत: अनुरोध है कि जहाँ 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत किये गये हैं वहाँ महालेखाकार, बिहार के पास सेवा-पुस्तिका भेजने के पहले इन स्वीकृतियों के सम्बन्ध में उसमें अवश्यमेव प्रविष्टि कर दी जाये । पेंशनर के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में भी समान प्रविष्टि की जाये । **[*ज्ञापांक पेन–1040/69-2636 एफ०, दिनांक 26-2-1970]**

3.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली एवं प्रक्रिया का सरलीकरण–औपबंधिक पेंशन एवं औपबन्धिक ग्रेच्युटी का भुगतान ।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1040/49–2336, दिनांक 26 फरवरी, 1970 (प्रतिलिपि संलग्न) के परिपत्र में यह निर्देश दिया गया था कि 75 प्रतिशत औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान जब सेवा निवृत्त अराजपत्रित सरकारी सेवक को कर दिया जाये तो इनकी प्रविष्टि उनकी सेवा–पुस्त में एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र से भी कर देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने से महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन मामले के निष्पादन में विलम्ब हो जाता है, क्योंकि सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी से महालेखाकार को यह सूचना प्राप्त करनी पड़ती है कि औपबन्धिक भुगतान किया गया है या नहीं। सूचना प्राप्त होने पर ही महालेखाकार के कार्यालय से पी०पी०ओ० एवं जी०पी०ओ० (पेंशन भुगतान आदेश एवं ग्रेच्युटी भुगतान आदेश) निर्गत किया जाता है।

(2) इस निदेश के बावजूद यह देखा गया है कि अधिकांश सेवानिवृत्त अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की सेवा–पुस्ति एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि नहीं रहती है जिससे पेंशन के मामले के अन्तिम निष्पादन में विलम्ब हो जाता है।

(3) अत: आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों को यह निदेश दिया जाये कि जब भी महालेखाकार को अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन मामले भेजे जायें तो यह प्रविष्टि सेवा–पुस्ति एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में अवश्य कर दी जाये कि औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान हो गया है या नहीं।

(4) इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि अधिकांश सेवानिवृत्त अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा नहीं किया जाता है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए ही सरकार ने औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक ग्रेच्युटी देने का निर्णय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1032/67–8739, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में किया है इसके नहीं प्राप्त होने से पेंशनरों को काफी कठिनाइयाँ होती हैं। अत: जिन मामलों में (Superannuation or retiring) पेंशन एवं डी०सी०आर० ग्रेच्युटी अनुमान्य हो उन सभी मामलों में 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं 75 प्रतिशत औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी अवश्य स्वीकृत करके भुगतान किया जाये और पेंशन कागजात महालेखाकार को भेजने के पहले इसकी प्रविष्टि सेवा–पुस्त एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में कर दी जाये।

(5) असमर्थता पेंशन (Invalid Pension) एवं (Wound एवं Injury) के असाधारण पेंशन के मामलों में औपबन्धिक पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में महालेखाकार के प्राधिकार–पत्र पर ही पेंशनर को औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। [*ज्ञाप सं० पेन–101/72–4565 वि०, दिनांक 21–5–1973]

4.

***विषय : बिहार पेंशन नियम एवं पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण।**

वित्त विभाग के आदेश संख्या पेन–1032/67/8739–वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी के अन्तिम निष्पादन के प्रत्याशा में सरकारी सेवकों को औपबन्धिक रूप से 75 प्रतिशत पेंशन एवं 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाये। औपबन्धिक पेंशन 6 माह तक के लिए देय है। अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय प्रधान भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं और राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में महालेखाकार भुगतान के लिए प्राधिकार–पत्र निर्गत करते हैं।

2. उपर्युक्त निर्देशित वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13 जुलाई, 1967 का आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने अब निम्नलिखित निर्णय लिया है –

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं 75 प्रतिशत औपबन्धिक ग्रेच्युटी का भुगतान पहले जैसा कार्यालय प्रधान (Head of Office) ही करेंगे।

(2) वर्तमान नियम के अनुसार महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार–पत्र पर राजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान होता था।

अब यह निर्णय किया गया है कि राजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन सम्बन्धी आदेश पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (Pension Sanctioning Authority) निर्गत करेंगे जिसके आधार पर कोषागार द्वारा भुगतान होगा। इसके लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु 75 प्रतिशत औपबन्धिक ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर ही पहले जैसा होगा।

राजपत्रित कर्मचारियों के औपबन्धिक पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी।

(3) राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी राशि, 1 जनवरी, 1971 से लागू नये वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन के आधार पर आँकी जायेगी, चाहे वह वेतन औपबन्धिक रूप से निर्धारित हो या अन्तिम रूप से।

(4) वर्तमान आदेश के अनुसार औपबन्धिक पेंशन का भुगतान सिर्फ 6 माह के लिए होता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों को औपबन्धिक पेंशन का भुगतान दो वर्षों के लिए होगा। परन्तु इस अवधि में वृद्धि के कारण पेंशन मामलों के अन्तिम निष्पादन में विलम्ब न होना चाहिए। **[*ज्ञाप सं० PC–107-73-500 वि०, दिनांक 1-2-1973]**

5.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पी०सी० 107/73-500-एफ०, दिनांक 1 फरवरी, 1973 की कंडिका 4 के अनुसार औपबन्धिक पेंशन का भुगतान करने की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 2 (दो) वर्ष कर दी गई है। यह आदेश तिथि 1 फरवरी, 1973 को निर्गत किया गया था अत: इसका लाभ तिथि 1 फरवरी, 1973 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होगा।

2. जो अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी तिथि 1 फरवरी, 1973 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हैं उनके मामलों में पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी दो वर्ष के लिए पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं हैं। अत: ऐसे कर्मचारियों को 6 माह से अधिक अवधि के लिए औपबंधिक पेंशन भुगतान हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं० पेन–1032/67-8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के शर्तों के अनुसार – महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी जिसके लिये उनसे अनुरोध करना चाहिये। इसके प्राप्त होने पर ही कोषागार द्वारा 6 माह से अधिक अवधि के लिए औपबन्धिक पेंशन का भुगतान होगा।

3. जैसा कि वित्त विभाग के आदेश संख्या पी०सी० 107/73-3506, दिनांक 1 मई, 1973 में निर्णय हो चुका है राजपत्रित पदाधिकारियों को औपबन्धिक पेंशन का भुगतान किसी भी अवधि के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर ही होगा। **[*वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी०सी०–107/74-5659 वि०, दिनांक 28-6-1973]**

6.

***विषय : औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967, पी०सी० 107/73-500 वि०, दिनांक 1-2-1973 एवं पी०सी० 107/73-3506 वि०, दिनांक 1-5-1973 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को औपबन्धिक रूप में पेंशन/ग्रेच्युटी देने की व्यवस्था की गई। इधर मृत सरकारी कर्मचारियों को समय पर पारिवारिक पेंशन नहीं भुगतान होने से काफी कठिनाई पैदा हो गई है। मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक स्रोतों से मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत प्रदान करने की माँग की जा रही है। भारत सरकार ने इस प्रकार के मामले में औपबन्धिक पेंशन देने का उपबन्ध किया है। महालेखाकार, बिहार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए अनुशंसा किया है।

2. उपर्युक्त तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की भाँति मृत अराजपत्रित सरकारी सेवक के परिवार को 75% पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी दो वर्ष के लिए भुगतान किया जाये। इस भुगतान के लिए महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार- पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

3. मृत अराजपत्रित कर्मचारियों के परिवार को औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृत एवं भुगतान की प्रक्रिया वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967 में दिए गए शर्तों के अनुसार

होगी । परन्तु, औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति एवं भुगतान की राशि एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख सम्बन्धित मृत अराजपत्रित कर्मचारी की सेवा-पुस्त में कर देना अनिवार्य है, जिससे दुहरा भुगतान की सम्भावना दूर हो जाये । सेवापुस्त में बिना प्रविष्टि के किसी को औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाये ।

4. सभी लम्बित पारिवारिक पेंशन के मामले का निष्पादन इस आदेश के अनुसार किया जाये । यदि औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान के फलस्वरूप किसी मामले में ओवर पेमेंट (Overpayment) हो जाये तो उसकी वसूली बची हुई पेंशन/ग्रेच्युटी या भविष्य से मिलनेवाली पेंशन की राशि से की जायेगी ।

[*वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या पेन–11-40-6/74–1436 वि०, दिनांक 16-2-1974]

7.

***विषय : औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई से बचाने के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र के बिना पूरे पेंशन/ग्रेच्युटी के 75 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी औपबन्धिक रूप में स्वीकृत करने एवं भुगतान करने की सुविधा दी गई हैं । पहले यह सुविधा तिथि 1 अप्रील, 1967 से सिर्फ 6 माह के लिए दी गई थी । परन्तु, तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश द्वारा उक्त सुविधा को और उदार कर दिया है और औपबन्धिक पेंशन के भुगतान की अवधि छः माह से बढ़ाकर दो वर्ष के लिए कर दी गयी । यह सुविधा वित्त विभाग के ज्ञापांक पी०सी० 107-73-500 के द्वारा तिथि 1 फरवरी, 1973 से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी गई है । फिर भी समाचार पत्रों एवं अभिवेदनों के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि पेंशन मामलों के अन्तिम रूप से निष्पादन में काफी विलम्ब होता है जिससे पेंशनरों की आर्थिक कठिनाई बढ़ती जा रही है । औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि समाप्त होने पर भी अनेक मामलों का अन्तिम निष्पादन नहीं हो पाता है । इस समस्या को सुलझाने के लिए तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने सुझाव दिया था कि दो वर्ष औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि की समाप्ति के बाद अगर पेंशन मामलों का निष्पादन अन्तिम रूप में नहीं हो जाता है तो पूरा पेंशन स्वतः इस अवधि के बाद पेंशनर को मिलने लगेगा ।

(2) सरकार ने तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के उक्त सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है –

(क) तिथि 1 फरवरी, 1973 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन का भुगतान दो वर्षों के लिए किया जाता है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि अगर दो वर्षों की औपबंधिक पेंशन के भुगतान की अवधि समाप्त होने तक, महालेखाकार का पेंशन भुगतान प्राधिकार-पत्र निर्गत नहीं हो सके तो उक्त दो वर्षों की अवधि के बाद पूरे पेंशन (अर्थात् शत-प्रतिशत) को औपबंधिक रूप में स्वीकृत कर पूर्ववत् महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के बिना भुगतान किया जाये । यह भुगतान महालेखाकार के अन्तिम पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र निर्गत होने तक कायम रहेगा । इसके लिए विशेष आदेश विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-1) में निर्गत किया जाये जो महालेखाकार को सम्बोधित रहे एवं उसे निबंधित डाक (Registered Post) के माध्यम से भेजा जाये ।

(ख) पूरे पेंशन को औपबंधिक रूप में स्वीकृत करते समय पेंशनर से एक घोषणा पत्र विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-2) में प्राप्त कर लिया जाये जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित रहे कि पूरे पेंशन भुगतान करने के फलस्वरूप यदि अधिक भुगतान हो जाये तो उसका सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी या भविष्य में प्राप्त पेंशन से कर लिया जाएगा ।

(ग) जैसे ही कोषागार में महालेखाकार द्वारा निर्गत पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाये और उस आधार पर पेंशनर, पेंशन प्राप्त करने के लिए कोषागार में विपत्र दाखिल करें तो उप-कोषागार पदाधिकारी को चाहिए कि वे पेंशन के अधिक भुगतान की अधिकाई का सामंजन पेंशन तथा शेष 25 प्रतिशत ग्रेच्युटी से कर लें । तद्नुसार कोषागार पदाधिकारी औपबंधिक पेंशन भुगतान करने वाले प्राधिकारी से औपबंधिक पेंशन भुगतान की राशि एवं अवधि सम्बन्धी सूचना विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-3) में प्राप्त कर ले जिससे पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान की राशि का सामंजन हो सके ।

(घ) महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करते समय स्पष्ट रूप से प्राधिकार पत्र में अंकित कर दें कि औपबंधिक पेंशन/ग्रेच्युटी की भुगतान की राशि का सामंजन कर भुगतान किया जाये ।

(ङ) महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करते समय इसकी सूचना पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की अवश्य निर्बंधित डाक से दें जिससे पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी औपबंधिक रूप में भुगतान की गई राशि की जाँच कर ले और इसकी सूचना सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी को दे दें । ऐसा करने से औपबंधिक पेंशन का भी सामंजन हो जायेगा और पेंशन भुगतान में विलम्ब नहीं होगा । भुगतान करते समय पेंशनर से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि वे महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं ।

(3) (i) उपयुक्त पद्धति के लागू होने से पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेवारी अधिक बढ़ जाती है । उन्हें चाहिए कि पेंशन कागजात को महालेखाकार के पास समय भेजकर दो वर्ष की औपबंधिक पेंशन की समाप्ति होने के पहले ही अन्तिम पेंशन के लिए प्राधिकार पत्र महालेखाकार से निर्गत करा लें । महालेखाकार भी यह सुनिश्चित कर लें कि दो वर्ष की औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि समाप्त होने के बहुत पहले ही पेंशन मामलों में प्राधिकार पत्र अन्तिम रूप से निर्गत हो जाये ।

(ii) सरकार की यह घोषित नीति है कि निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवकों को निवृत्ति के एक माह के अन्दर ही पेंशन/ग्रेच्युटी का प्राधिकार पत्र मिल जाये । फिर भी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो साल के लिए औपबन्धिक पेंशन देने की व्यवस्था की है । सरकार आशा करती है कि उक्त अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवकों के पेंशन मामले का अन्तिम निस्तार हो जायेगा एवं वास्तव में बहुत कम ही मामले में दो साल के बाद भी औपबन्धिक तौर पर शत-प्रतिशत पेंशन देना आवश्यक होगा । जहाँ दो साल के अन्दर पेंशन मामले का अन्तिम निष्पादन नहीं हो सके ऐसी स्थिति में पेंशन की स्वीकृति में दो साल से अधिक विलम्ब होने के कारण की जाँच की जाये और इसके लिए जिम्मेवारी निर्धारित की जाये एवं जिम्मेवारी यदि प्रमाणित हो तो सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाये ।

(4) ग्रेच्युटी के औपबन्धिक भुगतान पूर्ववत् 75 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे । पूरे औपबंधिक पेंशन की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के साथ संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा ।

(5) राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में भी महालेखाकार द्वारा उपर्युक्त पद्धति के अनुसार औपबन्धिक पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही की जाये । प्रथम दो वर्षों तक औपबंधिक पेंशन भुगतान करते समय उसके बाद पूर्ण पेंशन प्राप्त करने की राशि को अंकित कर दिया जाये जिससे भविष्य में भुगतान में कठिनाई नहीं हो ।

(6) यह सुविधा पारिवारिक पेंशन में लागू नहीं होगी ।

परिशिष्ट 1

शत-प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन स्वीकृत करने का प्रपत्र

(देखें कंडिका 2 क)

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार ।

विषय : श्री ..... को औपबन्धिक रूप में पेंशन की स्वीकृति ।

2. पदाधिकारी से सम्बन्धित ब्योरा –

(क) पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं विभाग

(ख) सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि

(ग) सेवानिवृत्ति की तिथि

(घ) कुल पेंशन प्रदायी सेवा अवधि

(ङ) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन, विशेष वेतन आदि

(च) अनुमानित पेंशन की राशि

(छ) 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन की माहवारी राशि एवं अवधि जिसकी स्वीकृति पहले दी जा चुकी है ।

आदेश : (i) श्री ..... को रु० .....
(शब्दों में .....) प्रतिमाह की दर से दिनांक ..... से शत-प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश संख्या 3349 दिनांक 2 अप्रील, 1974 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इसका भुगतान महालेखाकार, बिहार द्वारा भुगतान प्राधिकार-पत्र निर्गत करने तक होगा।

(ii) औपबंधिक पूरे पेंशन का भुगतान ..... कोषागार से किया जायेगा।

(iii) महालेखाकार, बिहार द्वारा जैसे ही पूर्ण पेंशन की राशि के लिए पेंशन भुगतान आदेश निर्गत होगा इस आदेश द्वारा स्वीकृत औपबन्धिक पेंशन का भुगतान समाप्त हो जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पाया जाये कि स्वीकृत औपबन्धिक पेंशन की राशि महालेखाकार, बिहार द्वारा नियमत: निर्धारित अनुमान्य पेंशन की राशि से अधिक है तो इस अधिकाई का सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी तथा भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जायेगा।

(v) यह खर्च बजट शीर्षक 277-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त भत्ते में 19 . ..... 19 विकलनीय है।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।
दिनांक

ज्ञाप संख्या

प्रतिलिपि कोषागार, पदाधिकारी, कोषागार ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार से जैसे ही भुगतान प्राधिकार प्राप्त हो, इस आदेश के आधार पर भुगतान बन्द कर दिया जाये कि औपबन्धिक स्वीकृति प्राधिकारी से भुगतान सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर भुगतान की राशि एवं अधिक भुगतान की राशि का सामंजन कर लिया जाये। सामंजन के पश्चात् ही भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।
दिनांक

ज्ञाप संख्या

प्रतिलिपि .....

(सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम एवं पता)

को सूचनार्थ अग्रसारित।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।

परिशिष्ट 2

पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का घोषणा-पत्र

(देखें कंडिका 2 ख)

मैं .....

(सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूरे पेंशन की राशि रु० ..... (अक्षर में) औपबन्धिक रूप में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र निर्गत होने तक जो स्वीकृत एवं भुगतान किया जाये, अगर बाद में औपबन्धिक रूप में स्वीकृत पेंशन की उक्त राशि महालेखाकार द्वारा नियमत: निर्धारित अनुमान्य पेंशन की राशि जिनका मैं हकदार रहूँगा, से अधिक पायी जाये, तो औपबन्धिक रूप में स्वीकृत एवं भुगतान की राशि एवं अधिक राशि का समांजन मेरे शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी एवं भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जाये। मैं इसके लिए

किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करूँगा । साथ ही महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर प्रथम भुगतान लेने के पूर्व में सूचना पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को दे दूँगा ।

अभिप्रमाणित

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित पदाधिकारी — सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक का

एवं पदनाम — नाम एवं पदनाम

टिप्पणी : घोषणा-पत्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए ।

परिशिष्ट 3

कोषागार पदाधिकारी को पूरे औपबन्धिक भुगतान की गई राशि सम्बन्धी सूचना प्रपत्र

(देखें कंडिका 2 ग)

सेवा में,

कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी,

.....

विषय : श्री .....

(नाम एवं पदनाम)

पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में स्वीकृत एवं भुगतान की गई राशि की सूचना ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह सूचित करना है कि श्री ..... (नाम एवं पदनाम) सरकारी सेवा से तिथि ..... को सेवानिवृत्त हुए । उन्हें औपबन्धिक रूप में पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :–

1. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
2. पेंशन की राशि
3. कुल डी०सी०आर० ग्रेच्युटी की राशि
4. 75 प्रतिशत पेंशन की दर एवं भुगतान की अवधि
5. 75 प्रतिशत डी०सी०आर० ग्रेच्युटी की राशि
6. (क) शत-प्रतिशत पेंशन की राशि जिसे औपबन्धिक पेंशन के रूप में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के रूप में निर्गत करने तक स्वीकृत किया गया है ।
   (ख) शत-प्रतिशत पेंशन के भुगतान की अवधि कब से कब तक ।
7. भुगतान की गई कुल राशि जिसका सामंजन (स्तम्भ 4, 5 एवं 6 का योग के आधार पर)

2. यह अनुरोध किया जाता है कि भुगतान की राशि का सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी एवं भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जाये ।

विश्वासभाजन,

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का

हस्ताक्षर एवं पदनाम

दिनांक

ज्ञाप संख्या

प्रतिलिपि श्री ..... (सेवानिवृत्त सेवक का नाम एवं पता) को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम

[*ज्ञाप संख्या P.C.–11-40 1/74-3349 वि०, दिनांक 2-4-1974]

8.

***विषय : औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।**

वित्त विभाग ज्ञाप पेन–11-40-6/74-1436, दिनांक 15 फरवरी, 1974 की कंडिका (2) में मृत अराजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन/उपदान दो वर्षों तक भुगतान करने का जो प्रावधान है वह ऐसे सभी पारिवारिक पेंशन/उपदान सम्बन्धी मामलों में लागू होगा जो 15 फरवरी, 1974 के पूर्व या उसके पश्चात् विभागों/कार्यालयों में स्वीकृति हेतु लम्बित है । परन्तु, औपबन्धिक पेंशन/ ग्रेच्युटी की स्वीकृति की एक मुख्य शर्त यह है कि भुगतान की राशि एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख कार्यालय प्रधान द्वारा सम्बन्धित मृत अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा-पुस्ती में कर देना होगा जिससे दोबारा भुगतान की संभावना दूर हो जाये । अतः सेवा-पुस्ति में बिना प्रविष्टि के किसी को औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाये एवं जब तक सेवा-पुस्ती उपलब्ध नहीं होती है तब तक इस औपबंधिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृति रोक रखी जाये । इस प्रकार के मामलों में पेंशन कागजात महालेखाकार को भेजने के पहले ही औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृति दी जाये एवं उसकी प्रविष्टि सेवा-पुस्ती में कर देनी होगी । **[*ज्ञाप संख्या 11-40-6/74-4516 वि०, दिनांक 13-5-1974]**

9.

***विषय : औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पी०सी० 11-40-1/74/3349 वि० दिनांक 2-4-1974 में निहित आदेश उन अराजपत्रित कर्मचारियों पर ही लागू है जो तिथि 1-2-1973 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं । पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में कार्यालय प्रधान द्वारा ही विहित प्रपत्र में स्वीकृत किया जायेगा । **[*वित्त विभाग, संख्या पी०सी० 11-40-1/74/11641, दिनांक 7-11-1974]**

10.

***विषय : बाह्य सेवा (फोरन सर्विस) में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक की निवृत्ति के पश्चात् 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन की ग्रेच्युटी का भुगतान ।**

एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक को बाह्य सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने पर उनके मामले में वित्त विभाग ज्ञापांक पेन-1032/67-8739 एफ०, दिनांक 17 जुलाई, 1967 के अनुसार 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देय है या नहीं । यदि है तो इसके भुगतान करने के लिए सक्षम कौन होगा ।

2. वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1032/67-8731 एफ०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में उच्च कोटि के सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय नहीं है । इस प्रश्न पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति रहते हुए सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1967 के अनुसार औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी देय है । उनके मामले में लेखा परीक्षा पदाधिकारी (ऑडिट ऑफिसर) पैतृक कार्यालय/विभाग (पैरेन्ट ऑफिस डिपार्टमेंट) के कार्यालयाध्यक्ष (हेड ऑफ ऑफिस) द्वारा औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी । **[*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या पेन–101-72- 12204 वि०, दिनांक 30-9-1972]**

205. पूर्ववर्ती नियम के खंड (क) या (ख) के मामले में यदि महालेखापाल यह समझे कि सरकारी सेवक केवल उपदान का ही हकदार होगा तो ऐसे संभावित उपदान का छठा हिस्सा, समान घोषणा के बाद उसे प्रतिमास भुगताया जाएगा, जबतक कि रकम अन्तिम रूप से तय न हो जायें ।

206. प्रत्याशा-पेंशन के भुगतान की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि जिस महीने में सरकारी सेवक निवृत्त होने वाला हो उस महीने के अनुवर्ती महीने की पहली तारीख तक भुगतान अवश्य हो जाये ।

207. यदि नियमित जाँच-पड़ताल पूरी हो जाने पर यह पाया जाये कि इस प्रकार संक्षिप्त रूप से दी गई पेंशन और अन्तिम रूप से तय की गई पेंशन में अन्तर पड़ता है, तो बाद के प्रथम भुगतान में अन्तर को अवश्य समंजित कर दिया जायेगा;

परन्तु, यदि नियम 205 के अधीन संक्षिप्त रूप से दिया गया उपदान, जाँच पूरी होने के बाद वस्तुतः देय पाई गई रकम से अधिक सिद्ध हो, तो सरकारी सेवक को, जो अधिक रकम उसे वस्तुतः चुकाई गई हो, वह अध्याय 8 के उपबंधों की अनुकूलता से अन्यथा लौटाना न होगा ।

208. नियम 204 के अधीन सौंपे गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग महालेखापाल कर सके, इसके लिये वह प्राधिकारी, जिसका कर्त्तव्य पेंशन मंजूर करना हो, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़े कि सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख तक पेंशन संभवतः मंजूर न हो सकेंगी तो, अविलम्ब महालेखापाल को सरकारी सेवक की सेवा, पेंशन की संभावित राशि आदि के संबंध में पूरी जानकारी देगा, जब तक कि ऐसी जानकारी वाले पेंशन कागजपत्र महालेखापाल के पास पहले से ही न हों ।

अध्याय–11

पेंशन का भुगतान

प्रकरण 1 : सामान्य नियम

उप-प्रकरण (1) : पेंशन के आरंभ की तारीख

209. विशेष आदेश को छोड़कर, क्षत या असाधारण पेंशन से भिन्न पेंशन, उस तारीख से देय होगी जिस तारीख को पेंशनभोगी स्थापना से हट गया हो या जिस तारीख को उसने आवेदन किया जो, जो भी बाद में हो । इस पिछले विकल्प का उद्देश्य आवेदनों के उपस्थापन में अनावश्यक विलंब को रोकना है । विलंब के लिये संतोषप्रद स्पष्टीकरण होने पर इस संबंध में पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी इस नियम को शिथिल कर सकता है ।

टिप्पणी : जो सरकारी सेवक नियम 114 (क) के अधीन सूचना के बदले उपदान प्राप्त कर चुका हो, उसे उस अवधि के लिये, पेंशन देय न होगी जिस अवधि के लिये उसे उपदान दिया जा चुका है ।

[समीक्षा : इस नियम के प्रावधानों में संशोधन हेतु नियम 204 के नीचे राज्य सरकार के निर्णयों को देखें ।]

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : उन सरकारी सेवकों को पेंशन की स्वीकृति जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद किन्तु पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन करने के पहले हो जाती है ।**

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 के साथ पठित उस नियमावली के नियम 193, 199 (ए) (3) और 209 के अनुसार पेंशन की स्वीकृति सम्बन्धित सरकारी सेवक से औपचारिक आवेदन पत्र की प्राप्ति पर ही दी जाती है जिसे बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 की टिप्पणी के अनुसार घोषणा भी देनी होती है । नियमावली के नियम 189 के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी, जिसके अनुसार वास्तविक या पूर्वकल्पित निवृत्ति तिथि के काफी पहले पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र देना आवश्यक है, समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें सरकारी सेवकों की मृत्यु सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद या कुछ समय बाद हो गई है और वे पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र भी नहीं दे पाये हैं । अब प्रश्न है कि ऐसे मामलों में सम्बद्ध सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि तक पेंशन मंजूर की जाये और उनके उत्तराधिकारियों को बकाया दे दिया जाये या नहीं ।

2. राज्य सरकार ने पूर्वोक्त प्रश्न पर सावधानी से विचार करके निर्णय लिया है कि वह प्राधिकारी, जो मृत सरकारी सेवक की पेंशन मंजूर किया होता यदि मृत्यु-पूर्व औपचारिक आवेदन-प्राप्त हो जाता, पूर्वोक्त कंडिका-1 में कथित बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के प्रावधानों को शिथिल करके सरकारी सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से उसकी मृत्यु की तिथि तक पेंशन और/या उपदान मंजूर कर सकता है मानो सरकारी सेवक ने सेवानिवृत्ति के पहले औपचारिक आवेदन कर दिया था, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु के